

न्यायालय कलेक्टर, जिला रायसेन (म.प्र.)

प्र.क्र. 42/अ-20(3)/कले./2022-23

म.प्र.शासन जरिये—  
संभागीय प्रबंधक,  
म.प्र.रोड डेव्लपमेंट, कार्पोरेशन, लिमिटेड,  
भोपाल ।

विरुद्ध

सर्व साधारण  
ग्राम घूरपुर तहसील सिलवानी  
जिला रायसेन ।

आदेश

(पारित दिनांक 27/01/2023)

संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड, डेव्लपमेंट कार्पोरेशन, लिमिटेड, भोपाल के द्वारा निर्धारित प्ररूप-एक पर ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम घूरपुर तहसील सिलवानी जिला रायसेन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 125 रकवा 10.679 हेक्टेयर भूमि एवं सर्वे क्रमांक 126 रकवा 20.279 हेक्टेयर भूमि में से रकवा 9.480 हेक्टेयर कुल रकवा 20.159 हेक्टेयर भूमि गढ़ी-अहमदपुर मार्ग निर्माण एवं बेगमगंज-सुल्तानगंज मार्ग निर्माण हेतु ली गई भूमि के स्थान पर वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का निवेदन किया है। आवेदक की ओर से भूमि हस्तांतरण किये जाने संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर ऑनलाईन एवं मूलतः प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, सिलवानी को भेजकर म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 में विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्ररूप पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

2- अनुविभागीय अधिकारी, सिलवानी द्वारा तहसीलदार सिलवानी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये ग्राम घूरपुर तहसील सिलवानी जिला रायसेन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 125 रकवा 10.679 हेक्टेयर भूमि एवं सर्वे क्रमांक 126 रकवा 20.279 हेक्टेयर भूमि में से रकवा 9.480 हेक्टेयर भूमि कुल रकवा 20.159 हेक्टेयर भूमि गढ़ी-अहमदपुर मार्ग निर्माण एवं बेगमगंज-सुल्तानगंज मार्ग निर्माण हेतु ली गई भूमि के स्थान पर वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव सहित प्रेषित किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी, सिलवानी की ओर से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 में विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया के तहत उक्त भूमि के हस्तांतरित किये जाने संबंधी प्रकरण अपर कलेक्टर, रायसेन द्वारा जिला नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर रायसेन द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 117/बी-121/अ.कले./2022-23 में अंकित प्रतिवेदन दिनांक 17.01.2023 के माध्यम से जिला नजूल निर्वर्तन समिति (सक्षम प्राधिकारी) द्वारा उक्त भूमि को सर्व सम्मति से ग्राम घूरपुर तहसील सिलवानी जिला रायसेन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 125 रकवा 10.679 हेक्टेयर भूमि एवं सर्वे क्रमांक 126 रकवा 20.279 हेक्टेयर भूमि में से रकवा 9.480 हेक्टेयर भूमि कुल रकवा 20.159 हेक्टेयर भूमि गढ़ी-अहमदपुर

मार्ग निर्माण एवं बेगमगंज-सुल्तानगंज मार्ग निर्माण हेतु ली गई भूमि के स्थान पर वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदाय किये जाने संबंधी प्रतिवेदन सहित प्रकरण अग्रेषित किया गया है। प्रकरण में संलग्न वन संरक्षक एवं पदेन वनमंडलाधिकारी, सामान्य, वनमण्डल रायसेन द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1175 दिनांक 29.09.2022 से उक्त भूमि वृक्षारोपण व वन प्रबंधन हेतु उपयुक्त होना उल्लेखित कर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में सहमति प्रस्तुत की है।

अतः प्रकरण में अपर कलेक्टर, रायसेन, अनुविभागीय अधिकारी, सिलवानी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं जिला नजूल निर्वर्तन समिति(सक्षम प्राधिकारी) के द्वारा स्वीकृति उपरान्त म0प्र0नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 16 एवं 17 में विहित प्रावधानों के तहत जिला रायसेन के ग्राम घूरपुर तहसील सिलवानी जिला रायसेन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 125 रकवा 10.679 हेक्टेयर भूमि एवं सर्वे क्रमांक 126 रकवा 20.279 हेक्टेयर भूमि में से रकवा 9.480 हेक्टेयर कुल रकवा 20.159 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गद्दी अहमदपुर मार्ग निर्माण एवं बेगमगंज-सुल्तानगंज मार्ग निर्माण हेतु उपयोग में ली गई भूमि के स्थान पर वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(अरविन्द दुबे)

**कलेक्टर**

**जिला रायसेन**

पृ.क्रमांक / 182 /रीडर/2023,

रायसेन, दिनांक 27/01/2023

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- संभागीय प्रबंधक, म.प्र.रोड डेव्लपमेंट, कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 4- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रायसेन/औबेदुल्लागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सिलवानी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 4- तहसीलदार सिलवानी की ओर आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर

**कलेक्टर**

**जिला रायसेन**

